B.Ed 2nd year

18/04/2020

विषय – समावेशी शिक्षा Unit – II   Saturday

प्रकरण – अन्य सीमान्त वर्गों से सम्बन्धित बालक

समाज के सीमान्त वर्ग या उपेक्षित समूह प्रायः वे समुदाय होते हैं, जिन्हें प्रायः समाज से बहिष्कृत या फिर इन्हें मुख्यधारा के बाहर कर दिया जाता है।

यहाँ भारत के निम्न वर्गों के लिए शिक्षा के जो प्रयास किए गए तथा उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। उसका वर्णन आगे वर्गों के अनुसार कर रहे हैं।

(1) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा।
(2) पिछड़े वर्गों के बालकों की शिक्षा।
(3) अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति

कुछ जातियों को समाज में अछूत या अस्पृश्य माना गया था। लोगों की धारणा थी, कि इन्हें छूने मात्र से वे अपवित्र हो जायेंगे। इन्हें मुख्य धारा से अलग रखा गया।

सरकार द्वारा इन जातियों के लिए जो कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई उनकी एक सूची तैयार की गई। इस सूची में सम्मिलित होने के कारण ही इन्हें अनुसूचित जाति / जनजाति रखा गया।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा

- अनुच्छेद 46 के अनुसार
  - राज्य कमजोर वर्गों की शिक्षा व्यवस्था
  - धर्म सम्बन्धी हितों की सावधानी
- ढेबर समिति 1960 द्वारा
  - निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था।
  - यूनिफार्म
  - दोपहर का भोजन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
  - निःशुल्क आवासीय स्कूलों की स्थापना।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति / जनजाति के बालकों के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण

1. आर्थिक स्थिति अच्छी न होना।
2. माता-पिता का निरक्षर होना।
3. स्कूलों की व्यवस्था न होना।
4. अरुचिकर वातावरण।
5. बाल मजदूरी / बालश्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा घोषणाएँ

1. शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।
2. प्राथमिक स्कूल खोलना (आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले)
3. शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहन।
4. आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करना।
5. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रयास

1. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान करना।
2. छात्रावासों का निर्माण।
3. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
4. आँगनबाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केन्द्र खोलने की प्राथमिकता।

पिछड़े वर्ग [Backward classes]

"अन्य दूसरे वर्गों से पिछड़े, उन्हे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।"

पिछड़े वर्गों के बालकों की शिक्षा

अनुच्छेद 15(4) के अनुसार विशेष अधिकार प्रदान करना।
अनुच्छेद (4) में राज्य द्वारा सरकारी सेवाओं व पदों में शामिल करना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा — शिक्षा की समुचित व्यवस्था की घोषणा।

Scanned with CamScanner

पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु प्रयास

1 - प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को बढ़ावा।
2 - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3 - छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
4 - नौकरियों में छूट।

अल्पसंख्यक वर्ग

"अन्य धर्मों व सम्प्रदायों व जातियों के लोग यहाँ कम संख्या है, इनकी संख्या कम होने के कारण इन्हें 'अल्प संख्यक' कहा जाता है।"

अल्प + संख्यक = "थोड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यक."
↓ थोड़ा ↓ संख्या वाले

अल्प संख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता / महत्व

(1)- राष्ट्र के विकास व एकता के लिए।
(2)- शिक्षा में समानता के स्तर को लाना।
(3)- समाज वाद की स्थापना के लिए।
(4) प्रजातन्त्र की सफलता के लिए।

अल्प संख्यक, बालकों की शिक्षा

धारा 29(2) → धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षा संस्था में प्रवेश न देने से इनकार न करना।"

धारा 30(1) → शिक्षा संस्था स्थापित करने / उसके प्रशासन का अधिकार।"

धारा 30(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता (राज्य) द्वारा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु की गई घोषणाएँ

(1) अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं स्वयं चलायेंगे। पाठ्यक्रम राज्य सरकार निश्चित करेगी।

(2) इनके क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक संस्थाओं को खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार द्वारा प्रयास

(1) अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता।
(2) आवासीय विद्यालयों की स्थापना।
(3) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
(4) 7 - 14 वर्ष आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा।
(5) शिक्षा संस्थाएँ खोलने का अधिकार।
(6) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन।
(7) क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम।
(8) अनु० 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाएँ खोलने का अधिकार

B.R.C. Deoband
Amis Pro – Sapna Tyagi

Scanned with CamScanner